

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:- एफ 4 (पॉलिसी) काशि/अनु0/2010/232


दिनांक:- 11/6/2012

संशोधन आदेश

विषय:- सत्र 2012-13 में नवीन निजी महाविद्यालय खोलने हेतु बैंक लिस्ट अपडेट करने बाबत।

संदर्भ:- इस विभाग की समसंख्यक विज्ञप्ति संख्या 8081 दिनांक 13.12.2011

संदर्भित विषयान्तर्गत संलग्न विज्ञप्ति के साथ नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु पेज नं० 18 पर संलग्न बैंक लिस्ट के बिन्दु संख्या 8 में 'यदि भूमि लीज पर ली गई है तो संस्था के नाम 3-4 वर्ष की पंजीकृत लीजडीड की प्रति' भूलवश टंकित हो गया है अतः इसके स्थान पर 'संस्था के स्वयं के नाम पंजीकृत भूमि का विक्रय पत्र' पढ़ा जावे।


संयुक्त निदेशक
अनुदान।